

**झारखण्ड सरकार**  
**वन एवं पर्यावरण विभाग**

आ0आ0सं-04/यो0बजट-52/2015-

48/आ0

व0प0 राँची, दिनांक :- 06.07.2015

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2015-16 में "इको-टूरिज्म" (अन्य व्यय) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्थलों, जैसे बेतला, पारसनाथ, त्रिकुट, दलमा, तिलैया, नेतरहाट, फॉसिल पार्क इत्यादि में इको-टूरिज्म के विकास कार्य एवं इस हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए कुल 700.00 लाख (सात करोड़) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

**प्रसंग :-** वन विभागीय पत्रांक 4/यो0बजट-52/2015-19/स्वी० व0प0 दिनांक 24.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक स्वीकृतिदेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में "इको-टूरिज्म" (अन्य व्यय) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्थलों, जैसे बेतला, पारसनाथ, त्रिकुट, दलमा, तिलैया, नेतरहाट, फॉसिल पार्क इत्यादि में इको-टूरिज्म के विकास कार्य एवं इस हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए कुल 700.00 लाख (सात करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न वर्णित लघुशीर्ष अंतर्गत/इकाईवार कुल 700.00 लाख (सात करोड़) रुपये मात्र की राशि आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि
1	इको-टूरिज्म	मजदूरी	19P240601101460103	420.000	420.000	420.000
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101460323	280.000	280.000	280.000
कुल राशि				700.000	700.000	700.000

ऑन-लाईन आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. प्रासंगिक व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली "इको-टूरिज्म" योजना बजट मुख्य शीर्ष-2406-- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप. मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, उप शीर्ष-46--इको-टूरिज्म अन्तर्गत विकलनीय होगा।

*Handwritten signature*

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि, का उप आवंटन आवंटित राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।
5. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं०-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस राशि का, आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

*(Signature)*

(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

48/अट

06.07.2015



आवटन आदेश

झारखंड सरकार

FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT

थानु दिनांक 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने प्रकृत राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/YB- 52/2015/48A

दिनांक - 02-Jul

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकारसी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 01 . वेतन एवं भौ. 03 . मजदूरी	45262	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHAR KHAND RANCHI	42,000,000.00 रुपये चार करोड बीस लाख
2	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-टूरीजम 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	45263	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHAR KHAND RANCHI	28,000,000.00 रुपये दो करोड अस्सी लाख



योग:

70,000,000.00

रुमिक योग:

रुपये सात करोड

(SUKHDEV SINGH)